



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229263
CG-DL-E-26082021-229263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]
No. 353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2021/भाद्र 4, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2021/BHADRA 4, 1943

भारतीय प्रेस परिषद
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

सं. 19/07/2021-पीसीआई भाग-II.—भारतीय प्रेस परिषद की अधिसूचना सं. 287, दिनांक 15 जुलाई, 2021, जोकि भारत के राजपत्र असाधारण भाग III खंड 4, सं. 19/7/2021 दिनांक 12.7.2021 को प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ सं. 2 में व्यक्तियों के संगमों के प्रवर्ग (I), जिसका संदर्भ धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) में दिया गया है, के अंतर्गत क्रम सं. 10 पर संगम “रायपुर प्रेस क्लब” का नाम विलोपित किया जाता है।

अनुपमा भटनागर, सचिव
[विज्ञापन- III/4/असा./217/2021-22]

PRESS COUNCIL OF INDIA
CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th August, 2021

No. 19/07/2021-PCI-Pt.II.—In the Notification of the Press Council of India No. 287 dated July 15, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4, No. 19/07/2021-PCI dated 12.7.2021 in page 3 under (I) Associations of persons of category referred to in clause (a) of sub-section (3) of Section 5, the name of the Association “Raipur Press Club” at Sr. No. 10 stands deleted.

ANUPAMA BHATNAGAR, Secy.
[ADV.T.-III/4/Exty./217/2021-22]

4758 GI/2021